पोषक तत्त्वों पर आधारित उर्वरक सब्सिडी

drishtiias.com/hindi/printpdf/fertilizer-subsidy-based-on-nutrients

चर्चा में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने वर्ष 2019-20 के लिए फॉस्फोरस और पोटाश उर्वरकों के लिये पोषण आधारित सब्सिडी (NBS) दरों के निर्धारण हेतु उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- NBS में अनुमोदित दरें नाइट्रोजन के लिये 18.90 रुपए प्रति किलोग्राम, फॉस्फोरस के लिये 15.21 रुपये प्रति किलोग्राम, पोटाश के लिये 11.12 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर के लिये 3.56 रुपये प्रति किलोग्राम होंगी।
- इससे विनिर्माता और आयातक उर्वरकों और उर्वरक सामग्रियों के लिये आपूर्ति अनुबंध देने में और वर्ष 2019-20 के दौरान किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने में समर्थ होंगे।
- पोटाश और फॉस्फोरस युक्त उर्वरकों पर वर्ष 2019-20 के दौरान सब्सिडी जारी करने के लिये अनुमानित व्यय 22875.50 करोड़ रुपए होगा।
- सरकार उर्वरक विनिर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक, यूरिया और 21 ग्रेड के पोटाश और फॉस्फोरस उर्वरक उपलब्ध कराती है।
- पोटाश और फॉस्फोरस उर्वरकों पर सब्सिडी 4 अप्रैल, 2010 से प्रभावी NBS योजना द्वारा नियंत्रित की गई हैं।

पोषक तत्त्वों पर आधारित सब्सिडी (NBS) योजना

- यह योजना उर्वरक और रसायन मंत्रालय के उर्वरक विभाग द्वारा अप्रैल 2010 से लागू की जा रही है।
- NBS के तहत वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक निश्चित राशि सब्सिडी वाले फॉस्फेट और पोटाश आधारित उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर उसके पोषक तत्त्व के आधार पर प्रदान की जाती है।

स्रोत: PIB